बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)
परिवहन परिसर फुलवारीशरीफ, पटना–800014
Phone No. 0612-2223527

बिहार सरकार

विज्ञापन संख्या 06 दिनांक 23/05/25

बिहार–क्षेत्रीय/अन्तर्क्षेत्रीय एवं बिहार–झारखंड के विभिन्न अधिसूचित/समझौता मार्गों पर निगम के अधीन बसों के संचालन हेतु इच्छुक वाहन स्वामी/ उद्यमी/ संस्था/ कम्पनी कृपया ध्यान दें।

निगम के अधीन सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने एवं विभिन्न शहरों को बस परिचालन से जोड़ने हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत वाहन स्वामियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

निगम के अधीन निजी बसों के परिचालन संबंधी शर्त्ते –

1. आवेदनकर्त्ता को आवेदन शुल्क के मद में 10,000/– का **Demand Draft** संलग्न करना होगा जो कि **Non Refundable** होगा। आवेदन के साथ **EMD** की राशि बिहार के सभी मार्गों के लिए 10,000/– एवं बिहार–झारखंड मार्ग के लिए 20,000/– प्रतिबस होगी। आवेदन स्वीकृत नहीं होने पर **EMD** की राशि आवेदक को वापस कर दी जाएगी।
2. संबंधित आवेदक के द्वारा बिहार के सभी मार्गों के लिए कुल बैठान क्षमता का 11% एवं बिहार–झारखंड मार्ग के लिए 10% (बिहार खेप का) निगम राजस्व हिस्सेदारी राशि निगम को देय होगा। पूर्व के अनुबंधित वाहन स्वामी को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
3. रिक्तियॉ नहीं होने पर संबंधित मार्ग के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क एवं **EMD** की राशि का ड्राफ्ट **"Chief Account Officer B.S.R.T.C."** Payable at Patna के नाम से देय होगा।

निगम के अधीन बस परिचालन हेतु इच्छुक आवेदनकर्त्ता अधिसूचित मार्ग के अनुसार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में आवेदन समर्पित कर सकते है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 13.6.2025 को 03:00 बजे अपराह्न तक है। आवेदन प्रारूप, शपथ पत्र एवं बस परिचालन की शर्त्ते की विस्तृत विवरणी परिवहन विभाग के वेवसाईट **www.state.bihar.gov.in/transport** पर देखी जा सकती है।

प्रशासक

II

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)
परिवहन परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना

विज्ञापन संख्या– 06

बिहार–क्षेत्रीय/अन्तर्क्षेत्रीय एवं बिहार–झारखंड के विभिन्न अधिसूचित/समझौता मार्गों पर निगम के अधीन बसों के संचालन के इच्छुक वाहन स्वामी/ उद्यमी/ संस्था/ कम्पनी कृप्या ध्यान दें।

बिहार के सभी मार्गों एवं बिहार–झारखंड मार्ग पर निगम के अधीन सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत इच्छुक वाहन स्वामियों से निम्नलिखित मार्गों पर बसों के परिचालन हेतु आवेदन आमंत्रित करता है :–

लोक निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा निम्न नियम एवं शर्त्तों पर वाहनों का एकरारनामा कर निगम के नियंत्रणाधीन बसों का परिचालन किया जाएगा:–

1. आवेदनकर्त्ता को आवेदन शुल्क के मद में 10,000/– का Demand Draft संलग्न करना होगा जो कि Non Refundable होगा। आवेदन के साथ EMD की राशि बिहार के सभी मार्गों के लिए 10,000/– प्रतिबस एवं बिहार–झारखंड मार्ग के लिए 20,000/– प्रतिबस होगी।
2. आवेदन स्वीकृत नहीं होने पर EMD की राशि आवेदक को वापस कर दी जाएगी।
3. पूर्व के अनुबंधित वाहन स्वामी को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
4. पूर्व के अनुबंधित वाहन स्वामी का किसी मार्ग पर निगम द्वारा आवेदित वाहनों का परमिट वैध रहने की स्थिति में संबंधित मार्ग पर प्राप्त परमिट अनुसार वाहन के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
5. वाहन स्वामियों से प्राप्त आवेदनों पर क्षेत्रीय प्रबंधकों से रिक्तियॉ प्राप्त की जाएगी। रिक्तियॉ नहीं होने पर संबंधित मार्ग के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा एवं संबंधित मार्ग का EMD राशि लौटा दी जाएगी।
6. संबंधित आवेदक के द्वारा बिहार के सभी मार्गों के लिए कुल बैठान क्षमता का 11% (परमिट में अंकित खेप के अनुसार) एवं बिहार–झारखंड मार्गों के लिए कुल बैठान क्षमता का 10% (बिहार से खुलने वाली खेप का मात्र) की राशि निगम को देय होगा।
7. आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क एवं EMD की राशि का ड्राफ्ट "Chief Account Officer B.S.R.T.C." Payable at Patna के नाम से देय होगा।
8. वैसे अनुबंधित वाहन स्वामी जिनका निगम के साथ एकरारनामा एवं परमिट दोनों समाप्त होने के कारण बसों का परिचालन बंद है उन्हें बिहार–क्षेत्रीय/अन्तर्क्षेत्रीय एवं अन्तरराज्यीय मार्गों पर पुनः वाहन परिचालन करने हेतु आवेदन समर्पित करना होगा। निगम द्वारा आवेदित वाहन का परमिट वैध रहने पर चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
9. आवेदनकर्त्ता द्वारा भरे गये आवेदन प्रपत्र I में ओभर राईटिंग स्वीकार्य नही होगा।
10. परिचालकों का चयन वाहन स्वामी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के निबंधन संख्या/इंजन नम्बर/चेचिस नम्बर, वाहन का मॉडल के आलोक में कुल राजस्व प्रतिशत (यदि भविष्य में निगम के द्वारा

किराया बढ़ाया जाएगा तो बढ़े हुए दर पर निगम राजस्व गणना कर निगम के खाते में जमा किया जाएगा) देने के आधार पर किया जायगा। निगम राजस्व की गणना बसों के कुल बैठान क्षमता x प्रति खेप x भाड़ा x निगम राजस्व प्रतिशत के आधार पर की जायगी। राजस्व का प्रतिशत बिहार–क्षेत्रीय/अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों पर 11% निगम राजस्व हिस्सेदारी राशि देय होगा। बिहार–झारखंड मार्गों पर बिहार से खुलने वाली खेप का ही मात्र 10% निगम राजस्व हिस्सेदारी राशि देय होगा।

11. आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क ₹ 10,000/-तथा EMD के मद में क्षेत्रीय/अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग पर प्रति बस ₹ 10,000/- एवं बिहार–झारखंड मार्ग पर प्रति बस ₹ 20,000/- EMD की राशि आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी। आवेदन शुल्क एवं EMD राशि का Demand Draft **"Chief Account Officer B.S.R.T.C."** Payable at Patna, के नाम से जमा किया जायेगा। आवेदन के साथ आवेदन शुल्क एवं EMD राशि का ड्राफ्ट नहीं रहने पर आवेदन मान्य नहीं होगा। असफल आवेदकों का EMD राशि लौटा दिया जायेगा। सफ़ल आवेदकों का EMD राशि को Performance Guarantee के रूप में जमा कर लिया जायेगा।
12. वाहन स्वामी द्वारा आवेदन प्रपत्र I में अंकित पते पर निबंधित डाक से पत्राचार/नोटिस निर्गत किया जाएगा। निगम द्वारा निबंधित डाक से भेजा गया नोटिस वापस आने पर इसकी जिम्मेवारी निगम की नहीं होगी एवं नोटिस को पूर्ण माना जाएगा।
13. परमिट प्राप्त होने के पश्चात् परिचालन आदेश से पूर्व वाहन स्वामी को प्रतिबस 01 लाख का बैंक गारंटी/फिक्स डिपोजिट जमा करना होगा जो कि Chief Account Officer B.S.R.T.C, Patna के नाम से Pledge होगा।
14. आवेदक को कहीं से भी काली सूची में नहीं डाले जाने एवं भारत के किसी भी न्यायालय से दिवालिया घोषित नहीं किए जाने का शपथ–पत्र।
15. किसी फर्म द्वारा आवेदन समर्पित किए जाने पर फर्म को निबंधित होने का प्रमाण–पत्र।
16. Individual आवेदक होने पर 18 वर्ष आयु से अधिक होने तथा भारत का नागरिक होने का प्रमाण–पत्र।
17. विहित प्रपत्र I में आवेदन, आवेदन शुल्क, EMD राशि एवं शपथ पत्र देना अनिवार्य है।
18. चयनित आवेदनकर्त्ता को 15 दिनों के अन्दर एकरारनामा करना होगा अन्यथा 15 दिनों का अंतिम नोटिस के पश्चात् आवेदन अमान्य करते हुए जमा EMD राशि जब्त एवं काली सूची में डालते हुए भविष्य में संबंधित वाहन स्वामी द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
19. बसों के परिचालन हेतु एकरारनामा की अवधि परिचालन आदेश की तिथि से 05 वर्षों तक के लिए वैध होगा।
20. आवेदकों को आवेदन प्रपत्र I के साथ बिहार से निबंधित वाहन का निबंधन संख्या, इंजन नम्बर/चेचिस नम्बर से संबंधित वाहन का कागजात लगाना अनिवार्य है।
21. वाहन स्वामी स्वयं के नाम से निबंधित वाहन/पावर ऑफ एटर्नी पर वाहन उपलब्ध करा सकते है। पावर ऑफ एटर्नी का मूल कागजात आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। चयनित आवेदक को परमिट आवेदित करने से पूर्व अनुबंधित वाहन के आर0सी0 में संबंधित DTO से U/LA BSRTC कराना अनिवार्य होगा।
22. परमिट से संबंधित सभी शुल्क वाहन स्वामी द्वारा देय होगा परिवहन विभाग द्वारा निर्गत नियम एवं शर्त्त मान्य होगा।

II

23. वाहन स्वामी द्वारा MV Act एवं सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
24. बसों का व्हील बेस 4200mm या उससे अधिक होगा। परमिट प्राप्ति हेतु राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के नियमानुसार 0–5 वर्ष असीमित, 05–10 वर्ष 600 कि0मी0 एवं 10–15 वर्ष 400 कि0मी0 की दूरी के अनुसार संबंधित मार्ग पर बस परिचालन के लिए आवेदनकर्त्ता द्वारा आवेदन दिया जाएगा।
25. एकरारनामा पश्चात् परमिट प्राप्ति हेतु वाहन स्वामी को समय–सारणी, परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस अनुसार वाहन का मान्य कागजात एवं परमिट शुल्क निगम में 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा। परमिट स्वीकृत होने के पश्चात् वाहन स्वामी को वाहन का मान्य कागजात, अधिभार शुल्क, पूर्व से यदि वाहन पर परमिट हो तो परमिट प्रत्यार्पण का शपथ पत्र, आदि 07 दिनों के अन्दर निगम में जमा करना होगा।
26. निगम द्वारा आवेदित मार्गों का STA/RTA से परमिट स्वीकृत होने के पश्चात् प्राप्त परमिट पर वाहन स्वामी द्वारा नियमानुसार संचालन किया जाएगा।
27. आवेदक द्वारा वाहन का चेचीस नं0/इंजन नं0 उपलब्ध कराने पर 15 दिनों के अन्दर निबंधन संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा एकरारनामा/आवेदन अमान्य करते हुए जमा EMD राशि जप्त कर ली जाएगी।
28. आवेदक एक या एक से अधिक मार्ग के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन को आंशिक/पूर्ण रूप से स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को होगा।
29. निगम के साथ अनुबंधित वाहन स्वामी के विरूद्ध आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक निगम राजस्व बकाया रहने पर बकाएदारों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
30. निगम राजस्व बकाया जमा नही करने या निगम के बस परिचालन में व्यवधान उत्पन्न किये जाने पर निगम द्वारा वाहन स्वामी को निबंधित डाक से नोटिस निर्गत किया जाएगा। 02 माह के बकाया के विरूद्ध नोटिस के उपरांत बकाया जमा नही करने या व्यवधान नहीं हटाने पर वाहन स्वामी द्वारा जमा बैंक गारंटी/Performance Guarantee को जब्त करते हुए वाहन का परिचालन बंद कर एकरारनामा रद्द कर दिया जाएगा।
31. वाहन का परिचालन आदेश निर्गत करने के पश्चात् वाहन स्वामी को परिचालन की शर्त्त के क्रम संख्या 10 (निगम राजस्व की गणना बसों के कुल बैठान क्षमताxप्रति खेपx भाड़ाx निगम राजस्व प्रतिशत के आधार पर की जायगी) के अनुसार निगम को अग्रिम के रूप में 30 दिनों का राजस्व हिस्सेदारी वाहन परिचालन से पूर्व भुगतान करना होगा, साथ ही उक्त माह का निगम राजस्व की हिस्सेदारी माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा किया जाएगा। 30 दिनों का अग्रिम भुगतान पूरे माह के भुगतान के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा। अग्रिम भुगतान निगम के पास अनुबंध की अवधि तक सुरक्षित रहेगा।
32. वाहन स्वामी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक निगम राजस्व हिस्सेदारी जमा किया जाएगा।

II

33. निगम को देय राशि द्वितीय पक्ष द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा की जाएगी। इसमें विफल रहने पर 0.3% (साधारण ब्याज की दर से) प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क निगम को देय होगा। प्रतिदिन देय राशि का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा निगम को किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि अनुबंधित वाहन स्वामी को प्रतिमाह जमा की जाने वाली राशि का भुगतान ₹ 10,000/– किया जाना है एवं उनके द्वारा प्रतिमाह जमा/पूर्व का बकाया राशि जमा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विलम्ब शुल्क की गणना प्रतिदिन के आधार पर निम्नवत् है :–

माह	प्रतिमाह जमा की जानेवाली राशि	पूर्व का बकाया	पहला दिन	दूसरा दिन	तीसरा दिन	चौथ दिन	पॉचवा दिन	...... 30/31	कुल विलम्ब शुल्क की राशि (0.3%)
अप्रैल–2024	10000	10000	30	30	30	30	30	30	900
मई–2024	10000	20000	60	60	60	60	60	60	1860
जून–2024	10000	30000	90	90	90	90	90	90	2700
								कुल	5460

द्वितीय पक्ष द्वारा कोई भी राशि का भुगतान उपरोक्त माह में नहीं करने पर माह अप्रैल में विलम्ब शुल्क 900, मई में 1860 एवं जून में 2700 कुल 5460/– एवं पूर्व का बकाया निगम राजस्व 30,000/– देय होगा। पूर्व का बकाया राशि भुगतान नहीं करने तक विलम्ब शुल्क की गणना 0.3% के दर से प्रतिदिन के अनुसार आगे की माह में इसी प्रकार की जाएगी।

34. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन स्वामी द्वारा इसकी सूचना 24 घंटें के अंदर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

35. वाहन परिचालन नहीं होने पर संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, (संचालन) द्वारा जॉचकर प्रतिवेदन 24 घंटे के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

36. निगम द्वारा निर्धारित यात्री किराया ही यात्रियों से लेना होगा एवं टिकट उपलब्ध कराना होगा।

37. यात्री किराया से संबंधित तालिका ड्राईवर का नाम, मोबाईल नं0 एवं परमिट की वैधता बस के अन्दर एवं गेट पर अंकित करना होगा।

38. सभी प्रकार के कर, बीमा, रोड टैक्स, टॉल टैक्स, परमिट शुल्क, परमिट प्रतिहस्ताक्षर शुल्क आदि वाहन स्वामी द्वारा देय होगा एवं वाहन से संबंधित विवाद की सारी जिम्मेवारी वाहन स्वामी की होगी।

39. बिहार राज्य में शराबबंदी कानून लागू है। इस परिपेक्ष्य में शराब बंदी का पालन संबंधित बस चालक एवं संवाहक को करना होगा। किसी प्रकार का शिकायत प्राप्त होने पर इसकी पूर्ण जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष अर्थात अनुबंधित वाहन स्वामी की होगी।

II

40. किसी माह में निगम राजस्व जमा नहीं करने पर क्षेत्रीय प्रबंधक/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (संचालन) द्वारा निबंधित डाक से पत्राचार/नोटिस निम्नवत् तालिका अनुसार निर्गत करते हुए इसकी सूचना/प्रतिलिपि मुख्यालय को भी दी जाएगी।

दिनांक	नोटिस	कार्रवाई
माह की 10वीं तारीख	15 दिनों का प्रथम नोटिस	बकाया निगम राजस्व जमा नहीं करने पर 15 दिनों का प्रथम नोटिस निर्गत किया जाएगा।
माह की 26वीं तारीख	15 दिनों का द्वितीय नोटिस	प्रथम नोटिस के उपरान्त भी निगम राजस्व भुगतान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बैंक गारंटी जब्त करने एवं वाहन का परिचालन बंद करने के संबंध में 15 दिनों का द्वितीय नोटिस निर्गत किया जाएगा।
अगले माह की 11 वीं तारीख	15 दिनों का तृतीय अंतिम नोटिस	द्वितीय नोटिस के उपरान्त भी निगम राजस्व भुगतान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बैंक गारंटी जब्त, वाहन का परिचालन बंद करते हुए एकरारनामा रद्द हेतु 15 दिनों का नोटिस निर्गत किया जाएगा।
		तृतीय नोटिस के उपरान्त भी बकाया जमा नहीं करने पर वाहन स्वामी का संबंधित मार्ग एवं बस का एकरारनामा रद्द कर दिया जाएगा।

41. वाहन के रख–रखाव (Maintenance) के लिए एक माह में तीन दिनों का मरम्मति छूट दिया जाएगा। उक्त तीन दिनों का निगम राजस्व की गणना नहीं की जाएगी।

42. आर0सी0 एवं बस में उपलब्ध सीट का Alteration पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एकरारनामा रद्द कर परमिट प्रत्यार्पण कर दी जाएगी। बसों के सीट का सत्यापन संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा किया जाएगा।

चयन की प्रक्रिया :–

43. आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन पर चयन की प्रक्रिया निम्नवत् हैः–

(i) पूर्व के अनुबंधित वाहन स्वामी के एकरारनामा में अंकित परिचालित बसों की संख्या एवं उपलब्ध रिक्तियॉ के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। (उदाहरण के लिए A आवेदनकर्त्ता द्वारा पटना–पूर्णियॉ मार्ग पर 04 वाहनों का एकरारनामा किया गया था लेकिन उनके द्वारा मात्र 02 वाहनों का ही

परिचालन किया गया। आवेदक A द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उक्त मार्ग के लिए 06 वाहनों का आवेदन देने पर क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा उपलब्ध रिक्तियॉ के आलोक में मात्र 02 वाहनों पर ही प्राथमिकता दी जाएगी। शेष वाहनों के लिए प्राथमिकता मान्य नहीं होगा एवं समान्य प्रक्रिया के तहत् चयन किया जाएगा।)

(ii) नया आवेदनकर्त्ता द्वारा आवेदित वाहनों का चयन प्राथमिकता के पश्चात् शेष उपलब्ध रिक्तियॉ के अनुसार किया जाएगा।

(iii) उपलब्ध रिक्तियॉ के अनुसार ही आवेदनकर्त्ता के आवेदन पर प्राथमिकता/समान्य चयन की प्रक्रिया की जाएगी।

(iv) पूर्व के अनुबंधित वाहन स्वामी का किसी मार्ग पर परमिट वैध रहने की स्थिति में संबंधित मार्ग पर प्राप्त परमिट अनुसार वाहन के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

(v) वाहन स्वामियों से प्राप्त आवेदनों पर क्षेत्रीय प्रबंधकों से रिक्तियॉ प्राप्त की जाएगी। रिक्तियॉ नहीं होने पर संबंधित मार्ग के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदनों का समर्पणः—

44. आवेदनकर्त्ता दिनांक 13.6.15 को 03:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित आवेदन शुल्क एवं EMD के साथ परिवहन परिसर, फुलवारीशरीफ पटना (दूरभाष संख्या 06122223527) में आवेदन जमा कर सकते है। बिहार के सभी मार्गों एवं बिहार–झारखंड मार्गों पर आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क ₹ 10,000/—, बिहार के सभी अधिसूचित मार्गों पर EMD प्रति बस ₹ 10,000/— एवं बिहार–झारखंड मार्गो पर EMD प्रतिबस ₹ 20,000/— की राशि Demand Draft"**Chief Account Officer B.S.R.T.C.**" Payable at Patna, के पदनाम से पटना स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर भुगतेय होगा। आवेदन प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना–800014 बिहार, के पते पर अथवा स्वयं कार्यालय में जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। इच्छुक आवेदक इस विषय में जानकारी के लिए दूरभाष संख्या–0612-2223527 पर किसी कार्यदिवस पर संपर्क कर सकते है।

प्रशासन मुख्य — प्रशासक

II

विज्ञापन संख्या - 6

आवेदन प्रपत्र I

लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत बिहार के सभी अधिसूचित मार्गों एवं बिहार–झारखंड के समझौता मार्गों पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन बसों के परिचालन हेतु आवेदन

आवेदक का फोटो

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पिता का नाम :– ....
3. पत्राचार का पता :– ....
   ....
4. सम्पर्क दूरभाष संख्या/मोबाईल नं0:– ....Alternate No. ....
5. Whatsapp no :-
6. e-mail/ ....
7. कुल आवेदित बसों की संख्या:–..
8. आवेदन शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट) की विवरणी:
   राशि 10,000/–, बैंक का नाम ....
   ड्राफ्ट नं0..., दिनांक ....
9. EMD डिमांड ड्राफ्ट की विवरणी: (क्षेत्रीय/अन्तरर्क्षेत्रीय मार्ग पर प्रतिबस ₹ 10,000/–, बिहार–झारखंड मार्ग पर प्रतिबस ₹ 20,000/)
   राशि ...., बैंक का नाम ....
   ड्राफ्ट नं0..., दिनांक ....
10. कुल EMD की राशि : ....

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	अधिसूचित मार्ग संख्या	बसों की संख्या	वाहन का निबंधन संख्या/चेचीस नं0/इंजन नं0	वाहन की आयु	मार्ग की दूरी कि0मी0 में

नोट :– बसों का अद्यतन कागजात, आवेदक का फोटो, आवेदन शुल्क, EMD राशि का ड्राफ्ट, आधार कार्ड एवं शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। किसी मार्ग में एक से अधिक अधिसूचित मार्ग संख्या रहने पर आवेदनकर्ता द्वारा मात्र एक ही अधिसूचित मार्ग संख्या का उल्लेख उपरोक्त तालिका में अंकित किया जाएगा।

आवेदन की तिथि :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर

II

विज्ञापन सं० 06

शपथ पत्र

मैं ...., पिता–...,

ग्राम–..., पो0–..थाना–..,

जिला–......................................, पिन नं0–.. मो0–...

शपथ पूर्वक ब्यान करता हूॅं कि :–

1. यह कि उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूॅं।
2. यह कि मेरा उम्र 18 वर्ष से अधिक है।
3. यह कि मेरा आधार नं0–..है।
4. यह कि वाहन संख्या–...
   ....मेरे नाम से निबंधित है।
5. यह कि आवेदित गाडी स्पेयर/पूर्व परमिट से आवृत है।
6. यह कि आवेदित गाड़ी का STA एवं RTA से अस्थायी एवं स्थायी परमिट निर्गत है/नहीं है।
7. यह कि मैं निगम के साथ पूर्व से अनुबंधित हूॅं/नही हूॅं एंव आवेदित गाड़ी का निगम के नाम से पूर्व से परमिट प्राप्त है/नहीं है।
8. यह कि आवेदन में उल्लेखित वाहनों का आयु एवं संबंधित मार्ग का कि0मी0 सही है।
9. यह कि कही से भी काली सूची में मेरा नाम दर्ज नहीं है।
10. यह कि किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया हूॅं और नही मेरे उपर कोई केस मुकदमा है।
11. यह कि मेरे द्वारा जो भी वाहन का कागजात, वाहन की आयु, कि0मी0 की सूचना/कागजात संलग्न की जा रही है वह सही एंव सत्य है। किसी प्रकार की त्रुटि/गलत कागजात रहने पर मेरा आवेदन कभी भी अस्वीकार किया जा सकता है।

    यह कि उपरोक्त वर्णित सारी बातें मेरे जानकारी में सही एवं सत्य है।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

शपथकर्त्ता ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर किया।